

पाना

प्रथम नियुक्ति के समय आवत सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2016-17

- 1 अधिकारी/ कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस क्षेत्र नाम लिखने के लिये अजित कुमार शर्मा
- 2 कार्यकाव्य पत्र अ-224/नाम (एफ़ो शेर)
- 3 कार्यकाव्य संख्या 1560-391002 + 700 आगती वसुधार्थि की दिनांक 1 जुलाई 2017

उत्तर मिले, उस सम्पत्ति का विवरण तथा प्राप्त रियाज	सम्पत्ति का नाम तथा बर्ण		संयोजन क्रमांक	यदि प्रथम के नाम पर न हो तो तबतक कि वह किसके नाम पर दर्ज है और उसका नाम कर्मचारी से क्या संबंध है	उत्तर मिले प्रकार अधिनियम क्रमांक, अधिनियम, गेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और दिनांक अधिनियम की गई है। उसका नाम क्या था?	सम्पत्ति में वार्षिक आय	अनुसूचित
	पूरे तथा अन्य सम्पत्ति	भूखंड					
(1) <u>अजित कुमार शर्मा</u> (कॉन्ट्र)	(2) <u>अजित कुमार शर्मा</u>	(3) <u>-</u>	(4) <u>50 नगर अधिनियम</u>	(5) <u>अजित कुमार शर्मा</u>	(6) <u>अजित कुमार शर्मा</u>	(7) <u>निर्गत</u>	(8) <u>निर्गत</u>

1 जहां लागू न हो कार दर्शाएं।

2 ऐसे मामलों में जहां भूखंड का शर्त-शर्त निर्धारण करना संभव न हो वहां संबंधित कानून के तहत नो टैपिंग प्रस्ताव दर्शाएं।

3 इनमें अन्वयार्थक दर्ज की प्रतिकृति है।

टिप्पणी - यह जानकारी केवल (कॉन्ट्र) नियम 1569 के तहत-19 (1) के अधीन प्रथम बर्ण नियुक्ति के लिए तब तक तारीख से ही तब के प्रत्येक खतब से कर संबंधित है कि वह क्षेत्र से प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक खतब प्रदान की अवधि के समाप्ति पर प्रस्तुत कर और अर्जन एवं करों का विवरण की तब तक ही दर्ज करना उसे विचार में लिखी या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर है, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर प्रत्येक या अर्जन प्राप्त करों का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है।

हस्ताक्षर: अजित कुमार शर्मा  
नाम: अजित कुमार शर्मा

अ-224/नाम (एफ़ो शेर)

दि 2017-18  
2018-19  
2019-20

यदि 01/जुलाई 2017 की तारीख तक आवक है। पंजीकृत करों को दर्शाएं।

Date - 05/10/2020

अ-224/नाम (एफ़ो शेर)  
डॉ. अजित कुमार शर्मा